


न्यायालय श्रीमान् सदस्य म0प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र०
समक्ष लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र०)

93

200



Rs. 20/-

4178 - III/13

मु० इन्द्रवती पत्नी स्व० अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम पिडरिया सेंगर, तहसील मऊगंज,
जिला रीवा म0प्र०

निगरानीकर्ता

बनाम

- १- भैयालाल तनय कुंजीलाल
- २- मु० संतोषिया पत्नी कौशल प्रसाद
- ३- विजय कुमार तनय कौशल प्रसाद
- ४- अरुण कुमार तनय कौशल प्रसाद
- ५- राजमणि तनय गया प्रसाद

सभी निवासी ग्राम पेडरिया सेंगर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र०

गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 05.08.2013 जो
कि अपर कलेक्टर रीवा द्वारा निगरानी प्रकरण
क0-150 अ 6 / 10-11 में पारित किया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र०भ०राजस्व सहिता
1959 ई०

मान्यवर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

- 7/11/13*
- १- यह कि गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा
के न्यायालय में तीन पृथक-पृथक आवेदन पत्र वसीयत दिनांक 28.12.74 के
परिप्रेक्ष्य में, वसीयत में उल्लेखित भूमियों के नामांतरण हेतु प्रस्तुत किये गये।
उक्त वसीयत गैरनिगरानीकर्तागण के कथनानुसार श्रीमती बदरी पिता रामकृपाल
एवं श्रीमती हिरोआ पत्नी रामकृपाल के द्वारा गैरनिगरानीकर्ता भैयालाल तनय
कुंजबिहारी, कौशल प्रसाद एवं राजमणि तनय गया प्रसाद के पक्ष में लिखाई गई
थी।

- २- यह कि ग्राम लोहखुर्द में स्थित भूमियों के सम्बन्ध में गैरनिगरानीकर्तागण के
द्वारा जो नामांतरण आवेदन, कथित वसीयत दिनांक 28.12.74 के परिप्रेक्ष्य में
तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उक्त नामांतरण आवेदन पत्र ग्राम

निः

इन्द्रवती

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R-4178-III/13

जिला—रीवा

मु० इन्द्रवती / भैयालाल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 150/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">MM</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p> <p style="text-align: right;">  </p>	